UPLL010026402022

IN THE COURT OF DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, LALITPUR.

Sessions Case/359/2022

STATE OF U.P. Vs. Udal Raja s/o Jaypal

C H A R G E

मैं, चन्द्रोदय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्त ऊदल राजा पुत्र जयपाल सिंह, निवासी कड़ेसरा खुर्द, थाना तालबेहट, जनपद ललितपुर को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

1– यह कि दिनाँक 02.06.2021 को समय 03 बजे स्थान मकान वादी पर वादी की बहन द्वारा आप अभियुक्त से ट्यूशन की फीस मांगे जाने पर आप अभियुक्त द्वारा वादी बहन के साथ गाली–गलौज कर उसे अपमानित किया गया तथा आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित किया गया, जिस पर दिनाँक 02.06.2021 को समय 5 बजे वादी की बहन दीप्ति द्वारा दुपट्टे से फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली गयी। इस प्रकार आप अभियुक्त ने ऐसा अपराध कारित किया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2–यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की बहन को गालियां दी गयी, जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक–27.10.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–27.10.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

Digitally signed by Chandroday Kumar
Date: 2022.10.27 16:29:11 KRAT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

IN THE COURT OF DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, LALITPUR.

Sessions Case/359/2022

STATE OF U.P. Vs. Udal Raja s/o Jaypal

27.10.2022

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्त समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्त तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसके विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है तथा उसे उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादी की बहन को गालियां दी गयी तथा उसे आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित किया गया, जिससे उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गयी। इसलिए अभियुक्त पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 306, 504 भा.द.सं. के आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 306, 504 भा.द.सं. के आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किये जाते हैं।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनॉक 29.11.2022 को पेश हो।

दिनॉक–27.10.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।